>

Title: Regarding storage of data by payment companies in India.

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): वर्तमान समय में पूरी दुनिया में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है । मेरी जानकारी के अनुसार वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने टेक्नॉलाजी व ई-कामर्स कम्पनियों के साथ डाटा-नियमों से संबंधित चर्चा की थी, जिसमें उक्त कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने आर.बी.आई. के सख्त नियमों पर आपत्ति की थी । उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल डाटा भारत में ही स्टोर करने के नियमों की समीक्षा लगातार करने के संकेत दिये थे, जिसके कारण कुछ विदेशी कम्पनियां मास्टर कार्ड, वीजा आदि ने भी आपत्ति की व अमेरिका जैसे देशों ने भी आपत्ति की थी । वास्तव में आर.बी.आई. ने यह तय किया है कि विदेशी पेमेंट कम्पनियों को पर्यवेक्षण की दृष्टि से अपना पेमेट्स डाटा भारत में स्थित कम्प्यूटर में ही सुरक्षित रखना है । सरकार का मानना है कि डाटा-स्टोरेज बनाने के निर्णय से निगरानी आसान रहेगी ।

मेरी सरकार से मांग है कि लोगों की निजता की रक्षा व देश हित में विदेशी व्यवसायिक कम्पनियों की मांग पर भी उक्त नियमों को जारी रखना उचित होगा ।